न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – अरूण कुमार जैन, आर0 ए0 एस0

मूल प्रार्थना पत्र संख्या– 31/2019 तथा इस न्यायालय का प्रार्थना पत्र संख्या 26/2022

1. छीतरमल
2. बोदूराम

पुत्रान केशाराम जाति अहीर निवासी बस्सी नागा तहसील जोबनेर जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. सीताराम
2. गंगाराम
3. रामूराम पुत्रान लादूराम
4. भूराराम
5. कजोडमल
6. शंकरलाल
7. रामपाल पुत्रान हनुमान समस्त जाति अहीर निवासी बस्सी नागा, तहसील जोबनेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री लक्ष्मण सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण
2. श्री योगेश शुक्ला, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः–10.01.2023

पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए के अंतर्गत दिनांक 20.05.2019 को प्रस्तुत किया गया था। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश कमांक सम/2022/4190–4200 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रार्थी/अप्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत किया जिसमे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 156/8 रकबा 04 बीघा वाके ग्राम बस्सी नागा मे स्थित है। उक्त भूमि में आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है, ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता बना हुआ है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि की बा–जोत काश्त करने के लिए, अपनी भूमि को उपजाऊ एवं विकसित करने के लिए, मवेशियों को लाने–ले जाने के लिए सुविधानुसार खसरा नं0 156/7 रकबा 04 बीघा वाके ग्राम बस्सी नागा की दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में मार्क 'ए' से 'बी' 20 फिट

.....2

10/01/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत उक्त रास्ते के लिए भूमि के बदले भूमि अथवा निर्धारित राशि जमा कराने को तैयार एवं तत्पर है।

अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने के अनेक अवसर दिए जाने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः– प्रार्थीगण के पास खसरा नं0 156/8 से मुख्य सडक पर आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता पहले से मौजूद है। प्रार्थीगण खसरा नं0 156/8 उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर रास्ता बना हुआ है उस से आते–जाते है, जो कि आगे हिंगोनिया सडक पर निकलता है। यही निकटतम रास्ता है। प्रार्थीगण ने कभी भी अप्रार्थीगण की जमीन का आने–जाने हेतु उपयोग–उपभोग नहीं किया है। खसरा नं0 156/6 जो कि खसरा नं0 156/7 के लगवा है, में पहले ही डामर रोड निकल चुकी है। वर्तमान में खसरा नं0 156/7 में फसल खडी है, जिसमें किसी प्रकार का कोई रास्ता कायम नहीं है। खसरा नं0 156/7 की भूमि में सभी अप्रार्थीगण ने सहकारी व सरकारी बैंकों से ऋण ले रखा है। बैंकों को इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है, ऐसी सुरत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ आचरण से नहीं आए है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है तथा तहसीलदार प्रस्तुत मौका रिपोर्ट भी प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में बनवायी है तथा प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत नक्शे में कितना लम्बा–चौडा रास्ता चाहिए स्पष्ट नहीं है, ना ही हिंगोनिया सडक को दर्शाया है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

तत्कालीन तहसीलदार, फुलेरा को प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक के पत्रांक 2726 दिनांक 15.10.2019 द्वारा निर्देशित किया गया, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार फुलेरा द्वारा पत्रांक 7341 दिनांक 11.12.2019 द्वारा मौका बिन्दुवार जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गयी। जिसके बिन्दु संख्या 01 के अनुसार प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। बिन्दू संख्या 02 के अनुसार अन्य कोई निकटमतम रास्ता नहीं है। बिन्दु संख्या 05 के अनुसार चाहे गये रास्ते की भूमि पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं इलाहाबाद बैंक का रहन दर्ज है। बिन्दु संख्या 08 के अनुसार रास्ते कि चौडाई 20 फिट (दो गठ्ठे) एवं लम्बाई 248 फिट (तीस गठ्ठे) है। जिसका कुल क्षेत्रफल 0.03 बिस्वा होता है।

पक्षकारान की बहस सुनी गई दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 156/8 रकबा 04 बीघा वाके ग्राम बस्सी नागा मे स्थित है। उक्त भूमि में आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है, ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता बना हुआ है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि की बा–जोत काश्त करने के लिए, अपनी भूमि को उपजाऊ एवं विकसित करने के लिए, मवेशियों को लाने–ले जाने के लिए सुविधानुसार खसरा नं0 156/7 रकबा 04 बीघा वाके ग्राम बस्सी नागा की दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे प्रार्थना के पत्र के संलग्न नक्शे में मार्क 'ए' से 'बी' 20 फिट रास्ते की आवश्यकता को रास्ता देने का निवेदन किया तथा यह कहा कि राज0 का. अधि. 1955 की धारा 251–ए में डीएलसी दर की दुगुनी राशि का भुगतान करने या भूमि के बदले भूमि देने का प्रावधान है जिसके अनुरूप प्रार्थी को रास्ता

...3

10/01/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उपलब्ध कराया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए प्रार्थीगण को रास्ता देने का विरोध किया कि प्रार्थीगण के पास खसरा नं0 156/8 से मुख्य सडक पर आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता पहले से मौजूद है। प्रार्थीगण खसरा नं0 156/8 उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर रास्ता बना हुआ है उस से आते–जाते है, जो कि आगे हिंगोनिया सडक पर निकलता है। यही निकटतम रास्ता है। तहसीलदार फुलेरा द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट एकतरफा प्रार्थी को फायदा पहुँचाने की गरज से बनाई गई है। यदि अप्रार्थीगण की जमीन से रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थीगण की जमीन कम हो जाएगी एवं उसका बाजार भाव भी कम हो जाएगी तथा प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में रास्ता कितना चौड़ा चाहिए का अंकन नहीं किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए बहस में कहा कि तहसीलदार फुलेरा की मौका रिपोर्ट एकतरफा नहीं बनाई गई है। यदि अप्रार्थीगण को उक्त रिपोर्ट पर कोई आपत्ति थी तो तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 11.12.2019 उपरांत आजतक कोई आपत्ति पेश नहीं की है। इससे यह साबित होता है कि तहसीलदार रिपोर्ट की आपको पूर्ण जानकारी थी। प्रार्थना पत्र के पृष्ठ संख्या 3 पर रास्ते की चौड़ाई 20 फीट का स्पष्ट अंकन है। अतः अप्रार्थी अधिवक्ता की आपत्तियाँ खारिज की जावे। वादी अधिवक्ता तथा सरकार पैरोकार द्वारा बहस में बताया गया है कि तहसीलदार की रिपोर्ट के मद संख्या 1 में यह स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी पास अन्य कोई वैकल्पिक नहीं है।

पत्रावली का अध्ययन मनन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं तहसीलदार, जोबनेर की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 156/8 में आने–जाने का रास्ता नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए रास्ता काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत तहसीलदार जोबनेर/फुलेरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 11.12.2019 के अनुसार प्रस्तावित रास्ता खसरा नं0 156/7 की दक्षिणी सीमा के सहारे दिया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी छीतरमल को उसकी खातेदारी भूमि 156/8 ग्राम बस्सी नागा में आने–जाने हेतु तहसीलदार जोबनेर/फुलेरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार खसरा नं0 156/7 की दक्षिणी सीमा पर 02 गठ्ठे X 30 गठ्ठे (16.5 फीट X 248 फीट) कुल 0.03 बिस्वा का रास्ता दिया जाता है। प्रार्थी को दिये गये रास्ते की भूमि के बदले समान क्षेत्रफल की भूमि खसरा नं0 156/8 की भूमि मे से प्रस्तावित रास्ते के साथ–साथ 02 गठ्ठे X 30 गठ्ठे (16.5 फीट X 248 फीट) कुल 0.03 बिस्वा अप्रार्थीगण को दी जाती है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु इस आशय की तहरीर तहसीलदार, जोबनेर को जारी हो कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में सिवायचक खाते में रास्ता दर्ज किया जावें तथा समान क्षेत्रफल की भूमि (0.03 बिस्वा)प्रार्थी के खाते से कम की जाकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को टंकित कराया जाकर खुले–इजलास में सुनाया गया ।

10/01/2023

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर